

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)

दॉ.पुनरीक्षण क.-250 / 14

संस्थित दिनांक 15.09.14

श्रीमती सुनीता बाई पत्नी नृपत सिंह आयु 34 वर्ष जाति गुर्जर व्यवसाय गृहकार्य निवासी ग्राम रते का पुरा थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.... पुनरीक्षणकर्ता

वि रू द्ध

1. नारायण प्रसाद गौड पुत्र रामवरन गौड आयु लगभग 46 वर्ष व्यवसाय प्रधान आरक्षक क्रं-798 पुलिस थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
2. मलखान सिंह पुत्र नामालूम आयु 39 वर्ष व्यवसाय पुलिस आरक्षक क्रं-502 पुलिस थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता।

// आदेश //

(आज दिनांक 29 / 04 / 2017 को पारित)

1. यह पुनरीक्षण धारा-397 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (श्री केशवसिंह) द्वारा परिवाद क्रमांक निल/2015 उच्चान श्रीमती सुनीता बाई बनाम नारायण प्रसाद एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/08/16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा-452, 294, 427, 323 एवं 506बी भा0दं0सं0 धारा-203 दं0प्र0सं0 के तहत खारिज कर दिया है।

2. मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं, कि पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध इस आशय का परिवाद विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि दिनांक 21.05.09 को दोपहर साढ़े चार बजे परिवादिया सुनीता बाई के पति, देवर एवं ससुर गोहद न्यायालय पेशी पर गए हुए थे, परिवादिया अपने घर पर अकेली थी तभी प्रधान आर० नारायण प्रसाद तथा आर० मलखान सिंह मोटरसाइकिल से आए और परिवादिया के घरवालों को बुलाने लगे एवं मां बहिन के अश्लील गालियां दीं एवं धक्का देकर घर के अंदर घुस गए। परिवादिया ने रोकने की कोशिश की तथा घर में अन्य कोई नहीं मिला तो तोड़ फोड़ करने लगे। आटा एवं अनाज आदि पटक दिया मटके फोड़ दिए, टी.व्ही पटक दिया जिससे पांच हजार रूपए का नुकसान हुआ। परिवादिया के चिल्लाने पर अन्य महिलाएं एवं पड़ोसी आ गए तब इन पुलिसवालों ने बंदूक तान ली और नारायण प्रसाद न कहा कि तुम्हें हिल्ले लगाकर छोड़ूंगा। गांव के मुरारी राजूसिंह, गिराज, एवं विष्णू घर पर आ गए और उक्त कृत्य को देखा। जाते-जाते पुलिस वालों ने जान से मारने की धमकी दी। शाम को साढ़े बजे पति, देवर व ससुर के लौटने पर सारी घटना बताई। जिसकी रिपोर्ट 22.05.09 को थाना एण्डोरी में करने पर पुलिस ने कार्यवाही करने से मना कर दिया। जिसकी रिपोर्ट जरिए डाक पुलिस अधीक्षक को की गई। उक्त आधारों पर उपरोक्त धाराओं के तहत परिवाद पंजीबद्ध किए जाने तथा अभियुक्तगण को दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई।

3. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने इस मामले में जांच के दौरान परिवादी सुनीता, राजू, विष्णू एवं गिराज के कथन लिए। उसी दिनांक को अपराध क्र०-35/09 परिवादिया, उसके पति, जेठ आदि के विरुद्ध दर्ज होना तथा उसके संबंध में प्रकरण क्रमांक 429/93 विचाराधीन होना पाया गया। जिसमें यह तथ्य पाए गए कि पुलिस के नारायण प्रसाद एवं मलखान सिंह ग्राम रते के पुरा में अभियुक्त नरोत्तम के यहां जांच के लिए गए थे, जांच के पश्चात उनके साथ मारपीट की गई जिस पर से उक्त अपराध पंजीबद्ध हुआ जो कि धारा-341, 353, 325, 186, 145, 148, 149

भा0द0सं0 के तहत है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह मान्य किया गया कि प्रकरण क्रमांक 439/09 में इस परिवाद के अभियुक्तगण नारायण सिंह व मलखान सिंह आहत होकर उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। लगभग आठ लोग घर में मौजूद रहते हुए पुलिस के कर्मचारी इस तरह घर में घुस कर कृत्य नहीं कर सकते, परिवादिया द्वारा उक्त प्रकरण के बचाव में यह परिवाद प्रस्तुत किया है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह मान्य किया गया है कि नारायण सिंह और मलखान सिंह के विरुद्ध अपराध बनने के आधार प्रकट नहीं होते हैं। संज्ञान लिए जाने योग्य मामला बनना प्रतीत नहीं होना मान्य करते हुए परिवाद निरस्त कर दिया।

4. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण में प्रमुख आधार यह लिया गया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किए बिना ही आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। साक्षियों के कथन में कोई विरोधाभास नहीं है। परिवादपत्र के पंजीयन के समय केवल इस बिन्दु पर विचार किया जाना होता है, कि मात्र प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं। परिवादपत्र के अंतिम निष्कर्ष का निराकरण नहीं किया जाता है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अंतिम निष्कर्ष निकालने में भी कानूनी भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी माना है कि अभियुक्तगण पुलिस के कर्मचारी हैं जिनके द्वारा जांच के दौरान घर की तलाशी भी ली जा सकती है, लेकिन सूने घर में जहां अकेली महिला घर में हो, तलाशी नहीं ली जा सकती है। उक्त आधारों पर पुनरीक्षण स्वीकार कर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 21/08/14 को अपास्त किया जाकर परिवादपत्र को पंजीबद्ध किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण की ओर से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत आदेश पारित करना बताया है। दिनांक 21.05.09 को परिवादिया के पति नृपत सिंह एवं अन्य सात लोगों के विरुद्ध नारायण प्रसाद की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है उक्त मामले से बचने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षण निरस्त किए जाने की प्रार्थना की

गई है।

6. पुनरीक्षण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-
क्या विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.14 अशुद्ध, अवैध, अनौचित्यपूर्ण है? तथा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ?

सकारण निष्कर्ष

7. इस पुनरीक्षण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए। इस मामले में परिवाद प्रकरण में जांच के दौरान लिए गए कथन प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण की ओर से दिनांक 28.04.17 को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों प्रथम सूचना रिपोर्ट नक्शा मौक, नारायण प्रसाद एवं मलखान सिंह की एम.एल.सी तथा विचारण न्यायालय के उक्त परिवाद के अभिलेख का अध्ययन किया गया।
8. पुलिस थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 35/09 अंतर्गत धारा-341, 353, 332, 147, 148, 149 एवं 186 के उपरोक्त दस्तावेजों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 21.05.09 को नारायण प्रसाद प्रधान आर0 के द्वारा नृपत सिंह अर्थात् परिवादिया सुनीता देवी के पति एवं अन्य सात लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई है, जिसमें यह तथ्य है कि नृपत सिंह हॉकी, नरोत्तम फरसा, सूरजभान, कल्याण सिंह लाठियां लिए राणाजीत कुल्हाडी, रामअख्यार, बंटी लाठियां लिए मिले और नारायण सिंह एवं मलखान सिंह का रास्ता रोककर मारपीट की एवं शसकीय कार्य में बाधा पहुंचाई।
9. जहां तक कि परिवाद एवं जांच के कथन का प्रश्न है परिवाद में द टना दिनांक 21.05.09 की दोपहर साढ़े चार बजे की बताई है उसी दिनांक को नृपत सिंह तथा परिवादी के देवर और ससुर का लौटना एवं 22.05.09 का रिपोर्ट के लिए जाना बताया है। सुनीता की जांच के कथन के पैरा 02 में उसी दिनांक 21.05.09 की घटना को बताते हुए उसी क्रम

में यह बताया है कि उसके पति आ गए थे तथा पति को घटना बताई थी तो पति बोले कि रिपोर्ट करने जा रहा हूं फिर उसके पति रिपोर्ट करने गए तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि परिवादिया अपने कथन में 21.05.09 को पति द्वारा रिपोर्ट करने जाना बताती है वहीं परिवार में में पैरा 05 में पति द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी में रिपोर्ट करने जाना बताया गया है। इस प्रकार कथन से परिवार की पुष्टि नहीं होती है।

10. अन्य साक्षी राजू विष्णू एवं गिराज के कथन में उनके द्वारा संपूर्ण घटना बताई गई है। उनके कथन से ऐसा प्रकट होता है कि वे ये बता रहे हैं कि संपूर्ण घटना उनके सामने हुई। यद्यपि विष्णू ने यह बताया है कि जब अभियुक्तगण घर के बाहर निकल आए तब वह, मुरारी एवं राजू आ गए थे। जबकि सुनीता कहती है कि चिल्लाने पर राजू, विष्णू, गिराज एवं मुरारी आए थे। गिराज कहता है कि हमने पुलिस वालों को रोका तो नारायण सिंह ने हम पर बंदूक तान कर कहा कि मुझे नारायण दिवान कहते हैं सालों अगर कोई शिकायत वगैरह की तो जान से खत्म कर दूंगा। जबकि परिवार के पैरा-04 में यह तथ्य है कि जब परिवादिया चिल्लाई तो घर की अन्य औरतें एवं पड़ोसी लोग आ गए तभी पुलिस वालों ने बंदूकें तान लीं और दीवान जी कह रहे थे कि मुझे नारायण प्रसाद दीवान कहते हैं, तुम्हें हिल्ले लगा कर छोड़ूंगा। इस प्रकार परिवार और गिराज का कथन बिल्कुल अलग है। इस प्रकार साक्षियों के कथन से भी परिवार की पुष्टि नहीं हो रही है। जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि घटनास्थल पर अपनी अनुपस्थिति दर्शाने हेतु उस अन्य पुलिस मामले के अभियुक्तगण नृपत आदि ने बचाव तैयार करने के लिए यह परिवार प्रस्तुत करवाया है।

11. इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्ष दिया जाना कतई त्रुटिपूर्ण नहीं है कि परिवादिया ने उक्त आपराधिक प्रकरण के बचाव में तथा नारायण सिंह व मलखान सिंह पर दबाव बनाने के लिए परिवार प्रस्तुत किया है। यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण नहीं है कि नारायण सिंह

और मलखान सिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनने के आधार प्रकट नहीं होते हैं।

12. इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गए परिवाद, कथन तथा नारायण सिंह एवं मलखान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों आदि के आधार पर नारायण सिंह एवं मलखान के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में उपरोक्त अपराधों के तहत संज्ञान लिए जाने के पर्याप्त आधार हैं ही नहीं।
13. अतः विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण नारायण सिंह एवं मलखान सिंह के विरुद्ध उपरोक्त सभी अपराधों धारा-452, 294, 427, 323 एवं 506 भाग-02 भा0दं0सं0 के तहत संज्ञान न लिए जाने तथा परिवाद निरस्त किए जाने का जो आदेश किया है वह अशुद्ध, अवैध एवं अनौचित्यपूर्ण नहीं है। इस कारण उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 21.08.14 उचित एवं विधि सम्मत है। अतः उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 21.08.14 की पुष्टि की जाती है।
14. यह पुनरीक्षण सारहीन होने से निरस्त की जाती है।
15. इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस भेजा जावे।

आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर पारित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड